

From,

Assist./Dy/Director of Factories, U.P.
Meerut

To,

Manager,
M/s
Bajaj Hindusthan Sugar Ltd. (Distillery Unit)
KINAUNI, KAITHWADI LINK ROAD, KINAUNI, MEERUT

No. F/Plan/Lic

Meerut, Dated 30/01/2019

Site Plan No. : SPR00060015

Subject :- Regarding approval of new/ extension and revision of factory building Plans and stability certificate.
Sir,

Plans etc. of your factory, which was submitted to assistant Director of Factories, Uttar Pradesh Region Meerut. It has received in this office for approval by your letter no. dated 12/10/2018. These are approved objected as the following conditions/reasons according to Factories Act, 1948 and under the U.P. Factories Rule, 1950 are enclosed with this letter.

Remark 1:-

Remark 2:-

Remark 3:-

Remark 4:-

Over all Remarks :- **PLAN APPROVED AND COS ACCEPTED IN SUPRESESSION OF PREVIOUS APPROVALS**

As Well as stability certificate dated 12/10/2018, which is signed by Shri Shri Prakash Verma/Shri Sandip Chauhan and work room no./ as has been shown in the factory plans no GZ-175/18BP/2018, is approved for the use of horse power (Electricity) and horse power (Diesel/Oil Engine). Total Elec. 7460.33 HP running with 5.5 KW-7477.92 HP Turbine and DG Set 750 kva stand by horse power for used is approved. Your attention is sought the provisions of rules-3(3) of the U.P. Factories Rule, 1950 according to that before starting the work with the help of powers it shall be compulsory to issue and get the approval of the stability certificate.

Enclosed:-

Plans
Site Plans
Questionnaires
Form no. 1
Fellow Chart
Stability Certificate.

Your's

Assist./Dy/Director of Factories, U.P.

(अनुराग श्रीवास्तव)
निदेशक कारखाना उ०प्र०

No. (i) F/Plan/Lic

Copy to Deputy/ Assistant Director of Factories, U.P. Zone Meerut enclosing here with a set of approved plans and stability certificate in reference of letter no. 12/10/2018 dated.

Enclosed:-

Plans
Site Plans
Questionnaires
Form no. 1
Fellow Chart
Stability Certificate.

(अनुराग श्रीवास्तव)
Assist./Dy/Director of Factories, U.P.

शर्तें :-

- (1) कारखाने में भवनों/फ्लोर्स/खुले स्थानों, जिनमें ज्वलनशील पदार्थों का हथलन या भण्डारण किया जाता है, आदि के क्षेत्रफल के आधार पर कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-38 एवं तत्सम्बन्धी उ०प्र० कारखाना नियमावली, 1950 के नियम-61 में प्राविधानित फार्मूले के अनुसार आग बुझाने हेतु पानी की आवश्यकता आगणित कर पानी के भण्डारण की व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत किया जाये और तदनुसार नियम-61 में वर्णित प्राथमिक अग्निशमन व्यवस्थाएँ एवं सुसंगत उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए 15 दिन के अन्दर विवरण उपलब्ध कराया जाये।
- (2) उ०प्र० फायर प्रिवेन्शन एण्ड फायर सेफ्टी एक्ट, 2005 तथा सम्बन्धित नियमावली के अन्तर्गत मुख्य अग्निशमन अधिकारी के द्वारा अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति 15 दिन के अंदर प्रस्तुत की जाये।
- (3) प्राप्त स्वास्थ्य व सुरक्षा नीति कारपोरेट स्तर की है, अतः उ०प्र० कारखाना नियमावली, 1950 के नियम-63(ख) में उल्लिखित बिन्दुओं के आधार पर विकसित करते हुए कारखाने की अद्यतन स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीति मूल रूप में आकूपायर द्वारा हस्ताक्षरित एक माह के भीतर प्रेषित करेंगे।
- (4) उ०प्र० कारखाना नियमावली, 1950 के नियम-63(एन) के प्रावधानों के अनुसार कारखाने में परिसंकटमय रसायनों से जुड़े क्रियाकलापों में नियमानुसार अर्ह सक्षम सुपरवाइजर की नियुक्त करते हुए उनके नाम, पदनाम तथा उनके शैक्षिक अर्हता, अनुभव का विवरण आवश्यक प्रमाण पत्रों एवं वॉछित पत्रजातों सहित प्रस्तुत किया जाये। कारखाने में प्रत्येक शिफ्ट में उ०प्र० कारखाना नियमावली, 1950 नियम-63(एन) के अनुसार कम से कम एक सक्षम सुपरवाइजर की नियुक्ति करते हुए सम्बन्धित का विवरण एक माह में उपलब्ध कराया जाये।
- (5) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-40-बी एवं उ०प्र० कारखाना सुरक्षा अधिकारी नियमावली, 1984 के अन्तर्गत तथा नोटीफिकेशन संख्या-1988/36-3-2000 (एफ)/84, दिनांक 03-08-2000 के प्रावधानों के अनुसार यूनिट-2 कारखाने में उ०प्र० कारखाना (सुरक्षा अधिकारी) नियमावली, 1984 में निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अर्ह सेफ्टी आफीसर की नियुक्ति तत्काल की जाये तथा नियुक्त सुरक्षा अधिकारी की अर्हता, अनुभव आदि का विवरण प्रमाण पत्रों सहित एक माह के भीतर प्रेषित करें।
- (6) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्रख्यापित दि मैन्यूफैक्चर स्टोरेज एण्ड इम्पोर्ट ऑफ हैजाडर्स केमिकल्स रूल्स, 1989 (संशोधित-2000) के प्राविधानों का अनुपालन कारखाने में प्रत्येक समय सुनिश्चित किया जाये।
- (7) पब्लिक लॉयबिलिटी एक्ट के सम्बन्धित प्राविधानों की पालन आख्या एक माह के अंदर प्रस्तुत की जाये।

(अनुराग श्रीवास्तव)
निदेशक कारखाना उ०प्र०